## **HIGH COURT OF CHHATTISGARH: BILASPUR**

## **ENDORSEMENT**

Endt. No. <u>962</u> /Confdl. /2024 I-8-2/2002(Part-XVI)

Bilaspur, dated <u>30</u> /<u>07</u> /2024

Copy of Vacancy Circular No. A-12023/2/2023-Ad.IV-MCA, dated 11.07.2024 issued by the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, regarding <u>selection for the posts of Judicial Members in the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT)</u> is enclosed herewith for information of the candidates concerned.

(Balram Prasad Verma Registrar General

Encl: As above.

#### No. A-12023/2/2023-Ad.IV-MCA Government of India Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Dated, the 11th July, 2024

#### VACANCY CIRCULAR

Sub: Selection for the posts of Judicial Members in the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - Inviting applications therefor: -

1. Tribunal: - The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) is an Appellate authority established under Section 410 of the Companies Act, 2013, to hear various appeals against the orders/decisions of National Company Law Tribunal (NCLT), under the Companies Act, 2013 and Section 61 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016, the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) under Section 202 and 211 of IBC, 2016, the Competition Commission of India (CCI) under the Competition Act, 2002 and the National Financial Reporting Authority (NFRA) under the Companies Act, 2013. Principal Bench of NCLAT is situated at New Delhi and another Bench is situated at Chennai. Other bench, if any, will be established in future at other places in the country, as decided. A Member, upon selection, may be posted at any of these places.

2. Vacancy: - Applications are being invited for the following vacancies (the

number of vacancies is subject to change without prior notice): -

Post	Number of vacancies	Place	Date of Vacancy
Judicial Member	02	New Delhi or Chennai or other enches, if any, to be established in ature at other places in the country.	21.01.2024 07.05.2024

3. Qualification and other terms and conditions: - The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the Tribunals Reforms Act, 2021 and the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021. Main terms and conditions are following: -

(i) Qualifications (Sub-rules 11 of Rules 3 of the Tribunal (Conditions of

Service) Rules, 2021]: -

Judicial Member: -

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.





AR (contail)

- (ii) Salary and allowances {Rules 10 and 11 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021}: The Member shall be paid a salary of Rs. two lakh twenty- five thousand per month plus other allowances as admissible.
- (iii) Term of office {Section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021}: Every Member of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he/she attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.
- (iv) Minimum age {Section 3 (1) of the Tribunals Reforms Act, 2021}: A person shall not be eligible for appointment as Member in, NCLAT unless he/she has completed the age of 50 (fifty years) as on the last date for submission of applications.

[Note: Candidates may refer the Tribunals Reforms Act, 2021 and the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 for other terms and conditions].

- 4. Procedure for selection: The Search-Cum-Section Committee constituted under the Tribunal Reforms Act 2021 for recommending names for appointment to the said post shall scrutinise the applications with respect to suitability of application for the posts by giving due weightage to qualification and experience of candidates and shortlist candidates for conducting personal interaction. The final selection will be done on the basis of overall evaluation of candidates done by the Committee based on the qualification, experience and personal interaction.
- 5. Application Procedure: Eligible and willing persons are advised to visit the portal https://apptrbmembermca.gov.in in order to submit online application from 10:00 AM of 15.07.2024. The candidates who had earlier applied need not to apply again. The detailed instruction for filling up the application form online are available on the portal (under "Instruction for applying online" heading). All requisite and relevant documents need to be uploaded online while filling up of application. Last date for submitting online application is 11.08.2024 at 05:30 PM. Print out of the applications after final submission on online portal duly completed, and signed alongwith copies of uploaded documents, is required to be sent to the following address latest by 05:30 PM of 23.08.2024:

Shri Hemant Kumar, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No 526, 'A' Wing, 5th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001



- 6. For the person working in any Government / semi-government / courts / Public Sector Undertaking/statutory and autonomous bodies the application should be accompanied with (i) Certificate to be furnished by the employer/ head of office/ forwarding authority as in Annexure-I of the application (ii) clear photocopies of the up-to-date CR/APAR dossier of the officer containing CR/APARs of at least last five years duly attested by a Group A officer (iii) cadre clearance (iv) integrity certificate/clearance from vigilance and disciplinary angle as in Annexure-II of the application (v) statement giving details of major or minor penalties, if any, imposed on the officer during the last ten years. The application along with above documents should reach to the address as mentioned in para 5 latest by 05:30 PM of 23.08.2024.
- 7. No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction. The candidates are required to make own arrangements.
- 8. Any Application received after due date without necessary Annexure as mentioned above will not be entertained.

(Hemant Kumar) Under Secretary to the Govt of India Tel: 23381349

To:

- 1. Registrar Generals of All High Courts
- 2. Secretaries to Government of India, All Ministries/ Departments of the Government of India
- 3. All Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories
- 4. All RDs/ROCs/OLs in the Ministry of Corporate Affairs
- 5. Registrar, National Company Law Appellate Tribunal (also requested to upload the vacancy circular on the NCLAT's website)
- 6. Secretary, National Company Law Tribunal
- 7. Secretary, Competition Commission of India
- 8. Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India
- 9. Secretary, National Financial Reporting Authority
- 10. Technical Director, NIC, MCA with the request to upload the vacancy circular on the online portal.
- 11. Technical Director, NIC, DoPT with the request to upload the vacancy circular on the DoPT's website.
- 12. E-governance Cell, Ministry of Corporate Affairs with the request to upload the vacancy circular on the website of the Ministry.

# CERTIFICATE TO BE FRUNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF OFFICE/FORWARDING AUTHOTITY

1.	Certified that the particular furnished by Shri/Smt/Kum					
	are correct and he/she possesse					
	educational qualifications and experience mentioned in application form.					
2.	It is also certified that there is no vigilance/disciplinary cases either pending o					
	being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by CVO is					
	the enclosed Annexure (II).					
3.	His/her integrity is certified.					
•	They have diveging to certained.					
4.	No major or minor penalty was imposed on Shri/Smt/Kun					
-	during the last 10 years period.					
5.	The up-to date attested Photostat copies of ACR/APAR of last years (eacl					
٠.	Photostat copy of ACR/APAR should be attested) in respect of Shri/Smt/Kum					
	in enclosed herewith.					
	The state of the s					

Seal & Signature of the cadre controlling Authority

# PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARNCE IS BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

- 1. Name of the Officer (in full)
- 2. Father's name
- 3. Date of Birth
- 4. Date of Retirement
- 5. Date of entry into service
- Service to which the officer belongs Including batch/Years/cadre etc., wherever applicable
- 7. Positions held (During ten preceding years)

S. No.	Organization	Designation	Administrative/	From	То
	(name in	& Place of	Nodal Ministry/		10
	full)	Posting	Department		
·		Ü	concerned (in		
			case of officers of		
			PSUs etc.)		

- 8. Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given)
- 9. Whether any allegation of misconduct Involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 Years and if so with what result (\*)
- 10. Whether any punishment was awards to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of penalty (\*)
- 11. Is any disciplinary/criminal proceedings or charge sheet pending against the officer as on date (if so, details to be furnished, including reference number, if any of the Commission)

- 12. Is any action contemplated against the Officer as on date (if so, details to be furnished (\*)
- (\*) if Vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter.

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

#### संख्या ए-12023/2/2023-प्रशा.IV-एमसीए

### भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, पाँचवां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 11 जुलाई, 2024

#### रिक्ति परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक सदस्यों के पदों पर चयन-आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में

- 1. अधिकरण : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 61, आईबीसी, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित एक अपील प्राधिकरण है। एनसीएलएटी की मुख्य पीठ नई दिल्ली मे स्थित है और दूसरी पीठ चेन्नई में स्थित है। अन्य पीठ, यदि कोई हो, तो देश के अन्य भागों में गठित की जाएगी, जैसा भी निर्णय होगा। चयन के पश्चात, कोई सदस्य इनमें से किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 2. रिक्ति : निम्नितिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं (रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व नोटिस के परिवर्तनाधीन है):-

पद	रिक्तियों की संख्या	स्थान	रिक्ति की तारीख
न्यायिक सदस्य	02	नई दिल्ली या चेन्नई या अन्य	21.01.2024
		पीठें, यदि कोई हों, जो भविष्य में	07.05.2024
		देश के अन्य स्थानों पर स्थापित	
		की जाएगी।	

- 3. अर्हताएं और अन्य निबंधन एवं शतें : अभ्यर्थी की अर्हताएं, पात्रता, वेतन और नियुक्ति की अन्य निबंधन और शतें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शतें) नियम, 2021 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :
  - (i) अर्हताएं [अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 का उप-नियम 11] :-
  - (क) न्यायिक सदस्य:-
    - (i) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो; या

- (ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा है या
- (iii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी मामलों से संबंधित मामलों में मुकद्में में पर्याप्त अन्भव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।
- (ii) वेतन और भत्ते {अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 का नियम 10 और 11}:- सदस्य को यथास्वीकृत भत्ते सहित दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।
- (iii) सेवा अवधि (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5):- अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की कार्याविध चार वर्ष की अविध के लिए अथवा सङ्सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
- (iv) न्यूनतम आयु (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)):- कोई व्यक्ति एनसीएलएटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदन जमा करने के लिए उन्होंने अंतिम तारीख को 50 (पचास वर्ष) पूरे न कर लिए हों।

[टिप्पण: अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अभ्यर्थी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 देखें]

- 4. चयन की प्रक्रिया:- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित छानबीन-सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को सम्यक वेटेज देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी तथा वैयक्तिक अंतःक्रिया के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाएगी। अंतिम चयन समिति द्वारा योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक अंतःक्रिया पर आधारित अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदन की प्रक्रिया:- पात्र और इच्छ्क व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दिनांक पूर्वाहन 15.07.2024 10 से ऑनलाइन आवेदन प्रस्त्त बजे https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल देखें। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया हुआ है उन्हें आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्ररूप भरने के लिए विस्तृत अन्देश ('ऑनलाइन आवेदन' हेतु दिशा-निर्देश' शीर्षक के तहत) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन भरते समय सभी अपेक्षित और संगत दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। आनलाइन आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 11.08.2024 को अपराहन 5:30 बजे तक है। ऑनलाइन पोर्टल पर विधिवत रूप से परिपूर्ण एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट आउट, हस्ताक्षरित प्रतियां सहित निम्नलिखित पते पर 23.08.2024 को अपराहन 05:30 बजे तक भेजी जानी अपेक्षित है:

श्री हेमंत कुमार, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 526, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

6. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/न्यायालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक और स्वायत निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आवेदन के साथ (i) आवेदन के अनुलग्नक-I के रूप में नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र (ii) समूह क अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित न्यूनतम पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर वाले अधिकारी के अप-टू-डेट सीआर/एपीएआर की स्वच्छ फोटो प्रतियां (iii) संवर्ग स्वीकृति (iv) आवेदन के अनुलग्नक-II के रूप में सतर्कता और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/स्वीकृति (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई किसी

बड़ी या छोटी शास्तियां, यदि कोई हो, का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न किया जाना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पैरा 5 में उल्लिखित पते पर 23.08.2024 को अपराहन 5:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

- 7. साक्षात्कार/परिचर्चा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए ग्राहय नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें।
- 8. निर्धारित तारीख के पश्चात् तथा उपरोल्लिखित आवश्यक अनुलग्नक के बिना प्राप्त किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(हेमंत कुमार) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष : 011-23381349

#### सेवा में,

- 1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
- 2. सचिव, भारत सरकार, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
- 3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- 4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
- 5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को एनसीएलएटी की वेबसाइट पर अपलोड करें)
- 6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
- 7. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 8. अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
- 9. सचिव, राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
- 10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को रिक्ति परिपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 11. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को रिक्ति परिपत्र डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 12. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

1.	(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र) प्रमाणित किया जाता है कि
2.	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध सतर्कता या अनुशासनात्मक का मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और सीवीओ द्वारा जारी की गई सतर्कता अनापति अनुलग्नक (II) में संलग्न है।
3.	उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
4.	पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती/कुपर कोई प्रमुख या गौण शास्ति आरोपित नहीं की गई है।
5.	श्री/श्रीमती/कुके संबंध में पिछले वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अप-टू- डेट सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियाँ (एसीआर/एपीएआर की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति सत्यापित होनी चाहिए) इसके साथ संलग्न हैं।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

# उन अधिकारियों का विवरण जिनके लिए सतर्कता अनापति मांगी गई है (सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षर किए जाने के लिए)

- 1. अधिकारी का नाम (पूरा)
- 2. पिता का नाम
- 3. जन्म तिथि
- 4. सेवानिवृति की तारीख
- 5. सेवा में प्रवेश की तिथि
- 6. अधिकारी से संबंधित सेवा बैच/वर्ष/कैडर आदि सहित, जो भी लागू हो।
- 7. धारित पद (पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान)

क्र.सं.	संस्था (पूरा	पदनाम तथा	संबंधित	से	तक
	नाम)	तैनाती का	प्रशासन/नोडल		
		स्थान	मंत्रालय/विभाग		
			(पीएसयू के		
			(पीएसयू के अधिकारी के		
			संबंध में)		

- 8. क्या अधिकारी को सहमित सूची या संदिग्ध : सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)
- 9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के : विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण सहित कदाचार के किसी भी आरोप की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या परिणाम था (\*)
- 10 क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी और यदि हां, तो लगाए जाने की : तारीख और दंड का ब्यौरा दें (\*)

11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र : लंबित हैं (यदि है, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ संख्या सहित, यदि कोई आयोग का है)

12. क्या आज की तारीख के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है (यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए) (\*)

(\*) यदि आयोग से विगत में सतर्कता अनापति प्राप्त की गई है, तो उसके बाद की अवधि की जानकारी प्रदान की जाए।

तारीख:

(नाम एवं हस्ताक्षर)